कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/4531 दिनांकः–04/08/2022

निमित्त,
श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara,Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भः– Government of India ,Ministry of Environment,Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC EDS Dated 10.06.2022 एवं आपके पत्र क्रमांक 5399 दिनांक 01.08.2022 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सन्दर्भित EDS Dated 10-06-2022 के क्रम में आपके पत्रांक 5399 दिनांक 01.08.2022 के अनुसार आक्षेप का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1. EDS के बिन्दु संख्या–3 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा Non-forest land की kml upload की गई है।उक्त kml पर forest website से वन क्षैत्र की kml upload की जाने पर Non-forest land का कुछ भाग forest website kml अनुसार वन क्षैत्र है।स्थिति स्पष्ट करे।

   प्रत्युत्तर–यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड की गई kml राजस्व नक्शे और वन विभाग की ब्लॉक फाइल के नक्शे पर आधारित है जो सही है एवं यह कार्यालय सहमत है।वन विभाग की आईटी विभाग द्वारा forest website पर kml जी.टी शीट पर आधारित है जो वन विभाग की ब्लॉक फाइल के नक्शो की सर्वे से बनी kml के साथ मेल नहीं खा रही है। forest website पर kml को ठीक करने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक 4523 दिनांक 04.08.2022 द्वारा **उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी,जयपुर** को पत्र लिखा गया है और इसे सही कराया जा रहा है।(संलग्न)

   यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड की गई kml सही है और वन विभाग की ब्लॉक फाइलों द्वारा सत्यापित है।

2. EDS के बिन्दु संख्या–5 एवं 6 में आप द्वारा यूजर एजेन्सी से प्राप्त प्रत्युत्तर ज्यों का त्यों संलग्न का प्रस्तुत किया गया है।उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा स्पष्ट अभिशंषा एवं सहमति दी जानी अपेक्षित है।

   प्रत्युत्तर –बिन्दु संख्या 5 से इस प्रस्ताव हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नही होने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार जिला कलक्टर बांसवाडा के द्वारा प्रमाण पत्र(संलग्न) जारी किया गया है जिससे यह कार्यालय सहमत होकर अनुशंसा करता है एवं बिन्दु संख्या 6 में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत औचित्य उचित और सही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जिग्नेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\FCA\Mayank\NPCIL\NPCIL.docx

कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा

क्रमांक/सर्वे./उवसं/बांस/2022–23/4523
निमित्

दिनांक :– 04/8/22

श्रीमान उप वन संरक्षक,
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी,जयपुर।
राजस्थान।

विषयः– **Forest** की होम वेबसाइट पर वनखण्ड सरवन डेरी पार्ट बी की अपलोड के.एम. एल को सही करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा **Forest** की होम वेबसाइट पर वनखण्ड सरवन डेरी पार्ट बी की अपलोड के.एम.एल फाईल गलत है जिसे सही करवाने हेतु ब्लॉक की पिल्लर वाईज सर्वे के अनुसार के.एम.एल भेजी जा रही है जिसे **Forest** की होम वेबसाइट पर सही करवाने का कष्ट करे।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार (के.एम.एल)

भवदीय

(जिग्नेश शर्मा)
उप वन संरक्षक
O/C बांसवाडा

कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/~~2017~~ 4(6) 2160/2017/ 3942 दिनांक :– 1/12/2017

मुख्य अभियन्ता
एन.पी.सी.आई.एल. बासंवाड़ा।

विषयः– वन विभाग की भूमि का अकृषि परियोजनार्थ उपयोग हेतु डाईवर्जन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी व सजवानिया में स्थापित होने वाले 4 गुणा 700 मेगावाट एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में आने वाली वन विभाग की भूमि रकबा 455.15 बीघा (73.77 हैक्टेयर) के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27–04–2017 तथा प्रोजेक्ट हेतु वाटर कारिडोर की स्थापना में ग्राम बारी, लालपुरा एवं वॉक की वन विभाग की भूमि 162.02 बीघा (26.35 हैक्टेयर) की बैठक दिनांक 28–11–2017 को आयोजित की जाकर कुल रकबा 100.12 (73.77+26.35) हैक्टेयर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र एवं बैठक कार्यवाही विवरण मय सलंग्न कागजात वास्ते आवश्यक कार्यवाही भिजवाये जा रहे है।

सलंग्न :– 1 डाईवर्जन हेतु प्रमाण पत्र।
2 जिला स्तरीय वनाधिकार की बैठक कार्यवाही विवरण।
3 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :–

1. उप वन संरक्षक वन विभाग बांसवाड़ा।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

माही बांसवाड़ा राज. परमाणु बिजली परियोजना, बांसवाड़ा (राज.)
NPCIL
Received
No. 70/2017
Date 7/12/17
File No. 12 B
M.B.R.A.P.P. BANSWARA (RAJ.)

Annexure-II

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR BANSWARA (RAJASTHAN)

No. 3943 Dated....1.12/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposed, it is certified the 73.77 Hect. for project and 26.35 Hect. Land for water corridor total 100.12 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NPCIL Banswara for establishment of Nuclear Power Project in Banswara district falls within Jurisdiction of Bari, Sajwaniya Adibhit, Katumbi, Rail, Lalpura and Wank village(s) in Chotiservan tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.12 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabah(s), Sub-Division Level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure...1.....to .69...annexure ....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) the each of concerned Gram Sabah(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Napla, Bari and Katumbi village(s) enclosed as annexure...1.TO.69

(d) the discussion and decisions of such proposals and taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member54s of Gran Sabah present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabah have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

P.C. Attested

Signature

District Collector

Banswara (Rajasthan)

भगवती प्रसाद

जिला कलक्टर

बांसवाड़ा

उप वन संरक्षक,